भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2762

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान में नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का तंत्र

2762. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या तंत्र है और इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या पाली, जोधपुर और बालोतरा में कारखानों से रसायन युक्त संदूषित जल छोड़े जाने से राज्स्थान की लूनी नदी में प्रदूषण होने की शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कारखानों और सामान्य बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) के एचआरटीएस से रसायन युक्त जल लूनी नदी में छोड़े जाने सहित विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लूनी नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए नमामि गंगे, गंगा के अलावा अन्य नदी घाटियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों और स्थानीय निकायों को क्रमशः अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी)

स्थापित करने और नदी व उनके जल निकायों में निर्वहन से पहले निर्धारित पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने के लिए अपने अपशिष्ट/सीवेज का उपचार करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) अपशिष्ट जल निर्वहन मानकों के संबंध में उद्योगों की निगरानी करती हैं और इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करती हैं।

इसके अलावा, देश में प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीपीसीबी द्वारा चिन्हित किए गए अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदूषित क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं को लागू करना आवश्यक है। इसके अलावा सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया है।

(ख) से (ङ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि राजस्थान में लूनी नदी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), जो जैविक प्रदूषण का एक संकेतक है, के अनुरूप प्रदूषित थी।

सीपीसीबी के अनुसार, पाली, जोधपुर और बालोतरा में कारखानों से दूषित जल के निर्वहन के कारण राजस्थान की लूनी नदी में प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उक्त शिकायतों को सीपीसीबी ने उचित कार्रवाई करने के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) को अग्रेषित किया था। आरपीसीबी के अनुसार, राजस्थान के पाली, जोधपुर और बालोतरा में 1831 कपड़ा इकाइयां हैं। 1831 कपड़ा इकाइयों में से 1674 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) से जुड़ी हैं और 157 इकाइयों के पास अपने स्वयं के अपशिष्ट उपचार संयंत्र हैं। औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के लिए, 110 एमएलडी की कुल क्षमता वाले 9 सीईटीपी हैं: पाली में 4, जोधपुर में 2 और बालोतरा में 3। अनुपालक और गैर-अनुपालक सीईटीपी की संख्या क्रमशः 5 और 4 है।

विनियामक निकाय गैर-अनुपालन वाले सीईटीपी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

एनआरसीपी के तहत, राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदी, जोजरी के प्रदूषण उपशमन हेतु जोधपुर, राजस्थान में 40 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) क्षमता के सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 172.60 करोड़ रुपये है।

*****